न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 84/2019

1 मेघसिंह पुत्र शहजाद सिंह।
2 भवानी सिंह पुत्र मेघसिंह।
3 देवी दयाल पुत्र मेघसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल।
2 शारदा पत्नी प्रहलाद।
3 मुकेश पुत्र प्रहलाद।
4 प्रवीण पुत्र प्रहलाद।
5 विनोद पुत्र प्रहलाद।
6 सज्जनलाल पुत्र सोहनलाला।
7 रामनिवास पुत्र शंकरलाल।
8 रोशन पुत्र शंकरलाल।
9 राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल।
10 रमेश पुत्र महीपाल।
11 लाली पत्नी महीपाल।
12 कृष्ण गोपाल पुत्र सिंघराम।
13 कृपाल पुत्र सिंघराम।
14 छोटेलाल पुत्र सिंघराम।
15 कमला पत्नी महावीर।
16 विजेन्द्र पुत्र महावीर।
17 नेतराम पुत्र छब्बूराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

18 बिनोदी पत्नी रामस्वरूप।

19 लीलाधर पुत्र रामस्वरूप।

20 जयसिंह पुत्र रामस्वरूप।

21 सुनिल पुत्र रामस्वरुप।

22 मिश्री देवी पत्नी गजानन्द।

23 जसवंत पुत्र गजानन्द।

24 मनीराम पुत्र गजानन्द।

25 पप्पु पुत्र गजानन्द समस्त जाति नाई निवासीगण बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

26 रामचन्द्र पुत्र माडुराम जाति नायक निवासी बानसुर मोड़ कोटपुतली जिला जयपुर।

27 धर्मपाल दत्तक पुत्र मालाराम।

28 तिलोका पुत्र प्रभाती।

29 किशोरीलाल पुत्र प्रभाती।

30 मेवा पत्नी प्रभाती समस्त जाति नायक निवासीगण बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

31 लूंगा पुत्री प्रभाती।

32 श्रवण पुत्री प्रभाती समस्त जाति नायक निवासीगण पाटन जिला सीकर।

33 बहादुर सिंह पुत्र अरजन सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

34 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबन्धक।

35 मंदिर ठाकुरजी बुहाना जरिये पुजारी पुरूषोतम पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

36 पुजारी सुरेश पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

37 भगवानाराम पुत्र झाबरराम।

38 महावीर पुत्र झाबरराम।

39 कमला देवी पत्नी रोताश।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

40 मंजित पुत्र रोताश नवीरा झाबरराम।
41 संजित पुत्र रोताश नवीरा झाबरराम समस्त जाति जाट निवासीगण हंसास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
42 सरति पुत्री झाबरराम पत्नी मूलचन्द जाति जाट निवासी माधोगढ़ जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
43 संजू पुत्री रोताश पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी चुंदारा जिला झुंझुनू।
44 ग्राम पंचायत बुहाना जरिये सरपंच बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
45 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 05.11.2019 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना पीठासीन
अधिकारी जयसिंह आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 114/2017
मुकदमा उनवानी ओमप्रकाश वगैरह बनाम रामचन्द्र वगैरह
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री महेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.04.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा संख्या 114/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 25 ने उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत किया तथा प्रार्थीगण अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 663/1 रकबा 4.24 हैक्टेयर में से व रेस्पोडेंट 26 लगायत 32 जो विपक्षी नम्बर 1 लगायत 7 थे की भूमि जो नक्शा में दर्ज 2455/665 (जमाबंदी में 2462/662) रकबा 1.77 हैक्टेयर में से व रेस्पोडेंट संख्या 33 व 36 जिनको विपक्षी संख्या 13 व 14 बनाया की कृषि भूमि खसरा नम्बर नक्शा में दर्ज 664/2411(जमाबंदी में दर्ज 664) रकबा 2.11 हैक्टेयर व रेस्पोडेंट संख्या 37 लगायत 43 जो विपक्षी संख्या 15 लगायत 21 है की भूमि खसरा नम्बर 672 रकबा 2.67 हैक्टेयर में से प्रचलित रास्ता बताते हुए खसरा नम्बर 744 में जाने वाली बुहाना से कलवा जाने वाली सड़क तक रास्ता कायम किए जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इससे व्यथित होकर विचाराधीन अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दौराने अपील अपीलांट मेघसिंह व भवानीसिंह व रेस्पोडेंट ओमप्रकाश रोशन, कृष्ण गोपाल की और से राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 668 जो दक्षिण मे स्थित है उसके खातेदारो ने 228.03 मीटर लम्बा व 1.82 मीटर चौड़ा कुल 415 वर्गमीटर उत्तर में रास्ते के सम्बंध में दिनांक 17.11.2020 को एक सम्पर्ण पत्र लिखवाकर रजिस्टर्ड करवा दिया है तथा अपीलांट मेघसिंह, भवानीसिंह व देवीदयाल अपने खेत खसरा नम्बर 2872/663, 2873/663,2874/663 में से दक्षिण की तरफ का 110 मीटर लम्बा व 1.82 मीटर चौड़ा कुल 200.2 वर्गमीटर रास्ते सम्बंध में समर्पण पत्र

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तस्दीक करा दिया जायेगा। इस प्रकार रास्ता खसरा नम्बर 688 के उत्तर में तथा अपीलांट के दक्षिण में 12 फिट का रास्ता कायम हो गया है उक्त रास्ता बिना किसी रकम के स्वेच्छा से दिया गया है अब रास्ते के बारे मे कोई विवाद नही है पक्षकारान ने रास्ते का विवाद लोक अदालत की भावना से आपसी प्रेम से सलटा लिया है रास्ते के सम्बंध में विधिवत रूप से समर्पण पत्र तस्दीक हो गया है इसलिये रास्ते के सम्बंध में अलग से आदेश की कोई आवश्यकता नही है। अत राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी बुहाना का आदेश व निर्णय दिनांक 05.11.2019 को अपीलांट की हद तक खारिज फरमाया जावें। यह राजीनामा इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा अपील निर्णित करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मुताबिक राजीनामा अपीलांट की हद तक विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने में आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। दौराने अपील अपीलांट मेघसिंह व भवानीसिंह व रेस्पोडेंट ओमप्रकाश रोशन, कृष्ण गोपाल की और से राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 668 जो दक्षिण मे स्थित है उसके खातेदारो ने 228.03 मीटर लम्बा व 1.82 मीटर चौड़ा कुल 415 वर्गमीटर उत्तर में रास्ते के सम्बंध में दिनांक 17.11.2020 को एक सम्पर्ण पत्र लिखवाकर रजिस्टर्ड करवा दिया है तथा अपीलांट मेघसिंह, भवानीसिंह व देवीदयाल अपने खेत खसरा नम्बर 2872/663, 2873/663,2874/663 में से दक्षिण की तरफ का 110 मीटर लम्बा व 1.82 मीटर चौड़ा कुल 200.2 वर्गमीटर रास्ते सम्बंध में समर्पण पत्र तस्दीक करा दिया जायेगा। इस प्रकार रास्ता खसरा नम्बर 688 के उत्तर में तथा अपीलांट के दक्षिण में 12 फिट का रास्ता कायम हो गया है उक्त रास्ता बिना किसी रकम के स्वेच्छा से दिया गया है अब रास्ते के बारे मे कोई विवाद नही है पक्षकारान ने रास्ते का विवाद लोक अदालत की भावना

मु.प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

से आपसी प्रेम से सलटा लिया है रास्ते के सम्बंध में विधिवत रूप से समर्पण पत्र तस्दीक हो गया है इसलिये रास्ते के सम्बंध में अलग से आदेश की कोई आवश्यकता नही है। अत राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी बुहाना का आदेश व निर्णय दिनांक 05.11.2019 को अपीलांट की हद तक खारिज फरमाया जावें। यह राजीनामा इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा अपील निर्णित करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त विवेचन एवं राजीनामे के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपीलांट के हितो की हद तक अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर